

2019/00005

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
49/019	53, 88, 89, 91A RTA	जंयला	दंडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
इभरत	बनाम	मौसीलाल	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

12/6/19  
अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 58, 88, 89, 91A RTA आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 24/7/019 को पेश हो।

8

27/7/19  
आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 27.8.19 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा),

27/8/19  
पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित। प्रतिवादी क्रम 1 तथा 7 के वाद शामिल सम्मन भारत प्रतिवादी क्रम 1 तथा 7 की ओर से श्री अखिलेश शर्मा एडवोकेट का बकालत नाम पेश हुआ। पत्रावली पेश नहीं, समय — चाहा है वास्तव में पत्रावली दिनांक 30/9/019 को पेश हो।

30/9/19  
आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 4.11.19 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा),

4/11/19  
आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 9.12.0.19 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा),

पत्रावली प्रश्न उत्तर वकील नारी व स्वतंत्र नारी  
 उप-नारी श्री वकील नारी व स्वतंत्र नारी को  
 वीर काट आकाश लगाना गरी वाक्य प्रमाण  
 के न्याया के उप-नारी श्री कम: नारी का  
 काट काट काटरी काटरी पेशी के काटरी काटरी  
 गारा श्री पत्रावली फेदल सुकाट काटरी काटरी काटरी  
 वकील के डाखिल इफ्तार हो

✍